UPMI010034292026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

पीठासीन अधिकारी : अनुपम कुमार
(उच्चतर न्यायिक सेवा)

<u>प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1228/2026</u>

दशरथ नन्दन पुत्र सदानन्द राम, निवासी गॉव–नेवढ़िया घाट, थाना–कोतवाली देहात, जनपद–मीरजापुर।

बनाम

उ0प्र0 सरकार

मु0अ0सं0–**169** सन् **2026**
धारा–109, 352 भारतीय न्याय संहिता
थाना–कोतवाली देहात जिला–मीरजापुर।

अभियुक्त की ओर से– श्री अशोक कुमार सिंह व श्री शुभम कुमार मिश्रा (अधिवक्तागण)
अभियोजन की ओर से– श्री आलोक राय, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

<u>जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण</u>

<u>दिनांकः–09.07.2026</u>

1. यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त दशरथ नन्दन की ओर से मु0अ0सं0–169 सन् 2026, धारा–109, 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना–कोतवाली देहात, जिला–मीरजापुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इस जमानत प्रार्थना–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 08.04.2026 को समय 14.00 बजे दशरथ उर्फ मट्टर पैसे की लेन–देन को लेकर प्रार्थिनी के पति को अपने घर बुलाकर गाली–गलौज देते हुए जान से मारने की नीयत से उसके पति के पेट में सब्जी काटने वाली चाकू से मार दिया, जिससे उसके पति को गंभीर चोट आयी है। उसके पति को डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल, मीरजापुर लाया गया, जहॉ इलाज चल रहा है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिये गये हैं कि प्रार्थी ने

कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी को गांव की पार्टीबन्दी के कारण रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी विल्कुल निर्दोष है। सत्यता यह है कि प्रार्थीसे उपेन्द्र नाथ उर्फ जोखू ने 5,000/—रू0 लिया था । उसी पैसे की मांग करने पर दोनों आपस में लड़ने लगे और उक्त झगड़े में नुकीले पत्थर पर गिरने के कारण चोट आ गयी। प्रार्थी की पत्नी ने दवा इलाज करायी। ठीक हो जाने पर दुश्मनीवश सुन्दरा देवी द्वारा प्रार्थी के खिलाफ गांव की पाटीबन्दी के कारण विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया। यदि शराब के नशे में तथाकथित अपराध कारित किया गया तो साशय नहीं था। प्रार्थी दिनांक 05.06.2026 से जिला कारागार, मीरजापुर में निरूद्ध है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना—पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा पैसे के लेन—देन के विवाद में गाली—गलौज देते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू से गंभीर चोटें पहुंचायी गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

6. जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विस्तृत तर्कों को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर वादिनी के पति को पैसे के लेन—देन के विवाद में गाली—गलौज देते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू से पेट में गंभीर चोट पहुंचाये जाने का अभियोग लगाया गया है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से गांव की पार्टीबन्दी की वजह से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। मात्र पैसे के लेन—देन का विवाद था। अभियोजन की ओर से कथन किया गया है कि वादिनी के पति को आयी चोटों का पहले इलाज कराया गया और उसके पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया, तो इसे विलम्ब नहीं कहा जा सकता। प्रस्तुत मामले में केस डायरी के पर्चा सं0—4 में मजरूब उपेन्द्र कुमार उर्फ जोखू का बयान अंकित है, मजरूब ने यह कथन किा है कि दशरथ उर्फ मट्टर पैसे की लेन—देन की बात को लेकर अपने घर बुलाकर गाली—गलौज देते हुए जान से मारने की नीयत से उसके पेट में सब्जी काटने वाले चाकू को भोंक दिया, फिर निकालकर दुबारा भोंकने जा रहा था कि उसने अपने हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके धक्का देने से सिर में भी चोट लग गयी और गंभीर रूप से घायल हो गया। 112 की मदद से जिला अस्पताल, मीरजापुर लाया गया। चोटों की गंभीरता को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया। केस डायरी के पर्चा सं0—9 में बयान चिकित्सक डा0 राजेश कुमार सिंह ने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 08.04.2026 को इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान मजरूब उपेन्द्र कुमार के बांये पेट की आंत में चाकू लगने

पर उसका प्राथमिक उपचार करके बेहतर उपचार हेतु बी.एच.यू. उसके द्वारा रेफर किया गया था। इसके अतिरिक्त बयान चिकित्सक प्रो0 शशि प्रकाश मिश्रा का बयान अंकित है, जिसमें मजरूब उपेन्द्र कुमार को दिनांक 09.04.2026 को ट्रामा सेन्टर में भर्ती होना और उसके पेट के बाए हिस्से में चाकू लगेने पर आंत में छेद हो जाने और उसका आपरेशन कर इलाज किये जाने का कथन किया गया है। प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है। विवेचक द्वारा अब तक संकलित किये गये साक्ष्य से प्रार्थी/अभियुक्त की घटना में संलिप्तता को दर्शाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

8. अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मामले के गुण–दोष पर कोई विचार प्रकट किये बिना, यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यह जमानत के लिये उपयुक्त मामला नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त दशरथ नन्दन का मु0अ0सं0–169 सन् 2026, धारा–109, 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना–कोतवाली देहात, जिला–मीरजापुर में प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1228/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–09.07.2026

(अनुपम कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No. UP1902

Dilip Kumar Srivastava (P.A)

Digitally signed by ANUPAM KUMAR
Date: 2026.07.09 17:19:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court